

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण वेद व्यासपुरी योजना, सेक्टर-4ए, सुशान्त सिटी, मेरठ के ऐसे आवेदकों, जिसके पक्ष में मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स से भूखण्ड की रजिस्ट्री नहीं हुई है, के प्रकरणों में प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है। इस सम्बन्ध में आवेदकों को एक घोषणात्मक शपथ पत्र मेरठ विकास प्राधिकरण के समक्ष देना होगा जिसका प्रारूप मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.in पर उपलब्ध है। आवेदक अपना शपथ पत्र अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष सं0 15 में दिनांक 29-09-2025 से 10-10-2025 तक के कार्य दिवसों में श्री राकेश चतुर्वेदी लिपिक अथवा श्री हरीसिंह के पास जमा करा सकते हैं।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मैसर्स अंसल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा०लि० "सुशान्त सिटी" सेक्टर-4ए के अन्तर्गत भूखण्डों का प्राधिकरण से सीधे निबन्धन कराये जाने हेतु सहमति पत्र का प्रारूप

1. भूखण्ड धारका का नाम -

2. मोबाईल नम्बर-

3. भूखण्ड धारक का पता-

.....

4. भूखण्ड संख्या-

5. भूखण्ड का क्षेत्रफल-

6. विकासकर्ता की भूखण्ड के सापेक्ष कोई देयता तो नहीं है?

हाँ

नहीं

7. स्टाम्प शुल्क की देयता के साथ प्राधिकरण से सीधे निबन्धन कराये जाने हेतु सहमति?

हाँ

नहीं

हस्ताक्षर

e-Stamp Certificate No. IN-UP.....

Rs. 10/- Dated

फोटोग्राफ
शपथकर्ता

शपथ पत्र

समक्ष : उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

1. यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरा नाम आयु
..... वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री है तथा
..... का निवासी हूँ। शपथकर्ता होने के कारण इस शपथ पत्र के
तथ्यों से पूर्णतया परिचित हूँ।
2. यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि शपथकर्ता द्वारा मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क
टाउनशिप्स प्रा0लि0 की वेद व्यासपुरी, बाईपास रोड, मेरठ स्थित सुशान्त सिटी में दिनांक
..... को रूपये जमा कराकर वर्ग मीटर के भूखण्ड हेतु
पंजीकरण कराया गया था। उक्त पंजीकरण के आधार पर वेदव्यासपुरी सेक्टर-4ए, सुशान्त
सिटी के पॉकेट में स्थित आवासीय भूखण्ड सं0 क्षेत्रफल
वर्ग मीटर अंकन रूपये में मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 द्वारा
जारी पत्र/अनुबन्ध पत्र सं0 दिनांकित के द्वारा नकद भुगतान
पर/किश्तों पर आवंटित हुआ है। उक्त पत्र/अनुबन्ध की प्रति इस शपथ पत्र के साथ
संलग्न है।
3. यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि शपथकर्ता को मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क
टाउनशिप्स प्रा0लि0 द्वारा जारी पत्र/अनुबन्ध पत्र द्वारा सूचित भूखण्ड के आवंटन के निमित्त
निम्नानुसार देय धनराशि, देय तिथियों के सापेक्ष मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स
प्रा0लि0 के पक्ष में अदा की गयी है।

क्र0 सं0	मद का विवरण	देय धनराशि	देय दिनांक	जमा धनराशि	जमा का दिनांक
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
9.					
10.					

उपरोक्त तिथियों में जमा की गयी धनराशि के बावत् मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 द्वारा प्राप्ति/पावती स्वरूप जारी किया गया प्रपत्र एतद् द्वारा शपथ पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। शपथकर्ता द्वारा अब तक प्रतिशत/शत प्रतिशत धनराशि मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 के पक्ष में अदा की जा चुकी है तथा उक्त भूखण्ड के बाबत् जो धनराशि मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 की

भुगतान किया जाना शेष है उसे शपथकर्ता, मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 के पक्ष में अदा करने हेतु वचनबद्ध है।

4. यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि शपथकर्ता, मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 द्वारा आवंटित उपरोक्त भूखण्ड के सापेक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण की सरचार्ज/अधिभार के मद में रूपये 1431/- प्रति वर्ग मीटर की दर से देय धनराशि मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में अदा करके उपरोक्त भूखण्ड की अपने पक्ष में रजिस्ट्री कराना चाहता है जो कि शपथकर्ता के पक्ष में रजिस्टर्ड किया जाना नितान्त आवश्यक है।
5. यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि शपथकर्ता, मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 द्वारा वेद व्यासपुरी, बाईपास रोड, मेरठ स्थित सुशान्त सिटी के सेक्टर-4ए के आन्तरिक विकास करने का दायित्व मेरठ विकास प्राधिकरण का नहीं है, बल्कि बिल्डर/कालोनी निर्माता/विकासकर्ता का है। शपथकर्ता उक्त कालोनी के आन्तरिक विकास के बावत् कदापि कोई भी माँग मेरठ विकास प्राधिकरण के समक्ष अथवा किसी उच्च प्रशासनिक स्तर पर मेरठ विकास प्राधिकरण से कराने हेतु नहीं रखूँगा।
6. यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि सुशान्त सिटी टाउनशिप्स के सेक्टर-4ए में स्थित उपरोक्त भूखण्ड की मेरठ विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्री हो जाने के पश्चात् समय-समय पर मेरठ विकास प्राधिकरण/नगर निगम, मेरठ/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का पालन, शपथकर्ता करेगा।

शपथकर्ता।

7. यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की धारा 1 से 6 तक का कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कुछ भी असत्य नहीं है और न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी सहायता करे।

दिनांक :

प्रमाणित स्थान-मेरठ।

शपथकर्ता।

(नोट:-उपरोक्त शपथ पत्र नोटेरी मजिस्ट्रेट द्वारा चकोर मोहर लगाकर सत्यापित किया जाना है।)